भारतीय गैर न्यायिक

भारत

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

PRADESH

27AC 886

[illegible]

17/12/2015

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

10

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

27AC 886539

संस्था सोसायटी फॉर ह्यूमन रि. एजुकेशन एण्ड
गुरुहर कम्पाउण्ड मैकनियर रोड प्रेमनगर बरेली

प्रमाणित प्रतिलिपि

पंजीकृत

25

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)

17/1/2015

संशोधित स्मृति पत्र

संस्था का नाम : सोसायटी फॉर ह्यूमन ऐजुकेशन एण्ड डवलपमेन्ट।

संस्था का पता : गुरहा कम्पाउण्ड मैकनियर रोड, प्रेमनगर, बरेली।

संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

संस्था के उद्देश्य : उद्देश्य इस प्रकार होंगे।

(1) बालक बालिकाओं को उत्तम, आधुनिक, वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना एवं उसका संचालन करना तथा शुद्ध पर्यावरण का विकास करना।

(2) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, हरिजन समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग आदि से समय-समय पर दान, अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना एवं उनका उपयोग संस्था के विकास के लिए करना।

(3) संस्था का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी स्तर पर प्राईमरी, प्राईमरी से जू0 हा0 स्कूल व जू0हा0 स्कूल से इण्टरमीडिएट तक के विद्यालय व महाविद्यालयों तक की स्थापना करना व उसका संचालन करना।

(4) संस्था का उद्देश्य अन्य वे सभी कार्य करना जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 20 सन 1860 के अन्तर्गत आते हों एवं संस्था के विकास में सहायक हों।

(5) कन्या विद्यालय, इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों का संचालन करना व प्रौढ़ शिक्षा व साक्षरता अभियान चलाना, हिन्दी अंग्रेजी विज्ञान व उर्दू आदि शिक्षा का प्रशिक्षण देना। शैक्षिक योग्यता के साथ साथ तकनीकी शिक्षा टाईपिंग

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
17/11/2015

कम्प्यूटर सिलाई कढ़ाई, बुनाई, कताई एवं हस्तशिल्प आदि एवं सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर छात्र–छात्राओं को स्वरोजगार संचालित करने हेतु आत्म निर्भर बनाना।

(6) संस्था का उद्देश्य दस्तकारी, रेडियो, टी0 वी0 बनाना आदि ऐसी प्राविधिक विधाओं की शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए केन्द्र खोलना जिनके प्रशिक्षण से बेरोजगारी दूर हो सके तथा छात्र छात्राये अपना स्वरोजगार संचालित कर सकें। इसके लिए आई0 टी0 आई 0 पॉलिटेकनिक, पी0 एम0 टी0, शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकी शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा आदि पाठ्क्रमों की मान्यता प्राप्त कर विद्यालय की स्थापना तथा संचालन कराना।"

(7) महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊँचा उठाना, इस हेतु महिला शिल्प कला केन्द्र, महिला छात्रावास, खोलकर विधवा परित्यक्त एवं समाज द्वारा उपेक्षित महिलाओ के जीविकापार्जन के लिए साधन जुटाना उनमे स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करने हेतु उन्हे विभिन्न तकनीकि विधाओं से प्रशिक्षित करना। उन्हे आवास भोजन वस्त्र, एवं दवा आदि की निशुल्क व्यवस्था करना।

(8) मूकबधिर बालक बालिकाओं के कल्याणार्थ सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों को अपनाने के लिए संस्थाओं/प्रशिक्षण केन्द्रों, विधालयों की स्थापना करना।

(9) अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोलकर उनके पालन पोषण हेतु बालबाड़ी, आंगनबाड़ी एवं बाल विकास योजनायें, शिशु पालन केन्द्र आदि खोलना व उनका संचालन करना।

(10) समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोधोग एवं ग्रामोधोग बोर्ड आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल

Sundar Singh S.K. Agrawal S.S. Rana

सत्य प्रतिलिपि

रजिस्ट्रार
... फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
... बरेली (उ0प्र0)
17/12/2015

बनाने का प्रयास करना। खादी तथा ग्रामोधोग का उत्पादन एवं पूर्ति के लिए चैरिटेबिल कार्यों मे खर्च करना।

(11) संस्था के उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्रीय हरिजन विभाग कल्याण सलाहकार परिषद, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 खादी बोर्ड, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोधोग आयोग, समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों वित्त पोषक विभागों अनुभागों, वित्त एवं विकास निगमों, स्थानीय निकायों, बोर्ड निगमों से ग्राम व शहरी चल अचल सम्पत्ति व अनुदान प्राप्त कर संस्था के हितार्थ लगाना तथा कपार्ट नाबार्ड व समाज कल्याण से अनुदान प्राप्त करना व संस्था के कार्य मे लगाना।

(12) ग्रामोदय सर्वोदय एवं पुस्तकों पत्रिकाओं और अन्य पुस्तिकाओं का प्रकाशन कराना।

(13) निर्वल एवं असहाय विकलांग निर्धन बालक व बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा प्रदान कर उन्हे छात्रवृत्ति प्रदान करना।

(14) संस्था का उद्देश्य बैंकों या राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त कर संस्था के हितार्थ लगाना।

Sundra Singh S.K. Arora S.S. Pa

सत्य प्रतिलिपि

17/1/2015

सोसाइटी फॉर ह्यूमन ऐजुकेशन एण्ड डवलपमेन्ट, गुरहा कम्पाउण्ड मैकनियर रोड, प्रेमनगर, बरेली

प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची वर्ष 2019–2020

क्र0 सं0	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व0 श्री मुन्ना सिंह	मो0 रामलीला, बहेड़ी, बरेली	अध्यक्ष	व्यापार
2.	श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री यशवन्त सिंह	गुरहा कम्पाउण्ड, प्रेमनगर मैकनियर रोड, बरेली	प्रबंधक	व्यापार
3.	डा0 इकबाल सिंह तोमर पुत्र श्री तारीफ सिंह तोमर	35ए/2 रामपुर गार्डन, बरेली	उप प्रबंधक	व्यापार
4.	श्री दीन दयाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री वासुदेव शर्मा	35 नार्थ सिटी, बरेली	कोषाध्यक्ष	व्यापार
5.	श्री हरी ओम पुत्र श्री अर्जुन सिंह	ग्राम/पो0 खान सूरजापुर,तह0 रूपबास, जि0 भरतपुर	उपाध्यक्ष	नौकरी
6.	श्री एस0के0 अग्रवाल पुत्र श्री धरलाल	200 प्रेमनगर, बरेली	सदस्य	व्यापार
7.	श्री सरदार सिंह राणा पुत्र श्री सुजान सिंह	349 आवास विकास कालोनी, [illegible]	सदस्य	व्यापार

सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ ... उ0प्र0

S. S. Rana S. K. Agarwal

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ0प्र0)
2/5/2019

Society For Human Education
& Development
(Reg. No. 1882/1998-99)
Gurha Compound, Machnair Road
Prem Nagar, Bareilly (U.P.)

नियमावली

संस्था का नाम सोसायटी फॉर हयूमन ऐजुकेशन एण्ड डवलपमेन्ट।

संस्था का पता : गुरहा कम्पाउण्ड मैकनियर रोड, प्रेमनगर, बरेली।

संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

संस्था के उद्देश्य स्मृति पत्र के अनुसार

संस्था की सदस्यता तथा उसके वर्ग :

आजीवन सदस्य– इस समिति के नियमों विनियमों को मानते हुये निस्वार्थ भाव से एकमुश्त रूपया 5100/– सदस्यता शुल्क के रूप में देने वाले सज्जन इस समिति के आजीवन सदस्य बनाये जायेंगे।

सामान्य सदस्य– जो सज्जन इस समिति को प्रतिवर्ष रूपया 1001/– सदस्यता शुल्क के रूप में देंगे वह सज्जन इस समिति के सामान्य सदस्य बनाये जायेंगे।

सदस्यता की समाप्ति: क– मृत्यु होने पर या पागल या दिवालिया होने पर।

ख– सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।

ग– संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित रहने पर।

घ– किसी सदस्य के विरूद्ध 2/3 बहुमत से अधिक मतो से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर।

च– त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा द्वारा पास होने पर।

छ– न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।

Rajpoot Sundra S.K. Agra S.S.

17/9/2015

7 संस्था के अंग : अ– साधारण सभा, ब– प्रबन्धकारिणी समिति।

अ– साधारण सभा–

गठन – साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिला कर किया जायेगा।

बैठकें – साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलायी जायेगी।

सूचना अवधि – साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति– गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन – संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार –

1. प्रबन्धकारिणी समिति का समय समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।

Rawat Shiv Surendra Singh S.K.Agrawal S.S. Ram

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)

ब– प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन – प्रबन्धकारिणी समिति का गठन आम सभा के बहुमत से कम से कम 7 सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक एक उपप्रबन्धक एक कोषाध्यक्ष तथा शेष दो सदस्य होंगे।

बैठकें– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलायी जायेंगी।

सूचना अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलायी जायेगी। प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति– गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो उस स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिए कर ली जायेगी।

8– प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. संस्था की उन्नति व विकास हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
2. संस्था के नियमों विनियमों मे संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना।

Surendra Singh S.K. Agrawal S.S. Rana

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
... बरेली (उ०प्र०)

3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।

4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण संस्थानों, नागरिकों आदि से अनुदान प्राप्त करना व प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ व्यय करना।

9– कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा।

10– पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष– प्रबन्धकारिणी समिति व सांधारण सभा की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त कार्यों को करना।

प्रबन्धक–

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना।
2. संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
3. संस्था के आय व्यय विवरण को पास करना, चेकों ड्राफ्टों को स्वीकार करना व बिल पास करना।
4. संस्था के अन्तर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति व पदच्युत करना, वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन तय करना, भुगतान करना, उनकी सेवा के नियम बनाना।
5. संस्था के समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना व अदालती कार्यवाही की पैरवी करना।

सत्य प्रतिलिपि

17/1/2015

उपप्रबन्धक– प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके कार्यो को करना एवं उपस्थिति में कार्यों में सहयोग देना।

कोषाध्यक्ष–

1. संस्था के आय व्यय विवरण को रखना।
2. प्रबन्धक द्वारा सौंपे गये सभी कार्यों को करना।
3. प्रबन्धकारिणी के द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

11 संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन – संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

12. संस्था का कोष– संस्था का धन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

13. संस्था का लेखा परीक्षण– संस्था का लेखा का परीक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर द्वारा किया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः यदि संस्था किसी पर मुकदमा चलाती है या संस्था पर कोई मुकदमा चलाता है तो मुकदमें की पैरवी प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

15. संस्था के अभिलेख–

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. एजेन्डा रजिस्टर
5. कैश बुक आदि।

Sudeshta S.K. Agrawal S.S. Rawat

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
17/7/2015

16. संस्था का विघटन – यदि संस्था का विघटन होता है तो विघटित सम्पत्ति की समस्त कार्यवाही सोसा० रजि० एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

17. संस्था का सामूहिक उत्तरदायित्व– यदि संस्था व प्रबन्धकारिणी समिति का कोई सदस्य कोई ऋण सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करता है तो ऋण प्राप्ति के लिए संस्था की सम्पत्ति का समयक बन्धक हो सकेगा तथा संस्था की सम्पत्ति को संस्था हित में विक्रय कर अन्य सम्पत्ति क्रय करने का अधिकार होगा।

18. उ० प्र० शासन द्वारा प्रवृत **रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय की परनियमावली के उपबन्ध 11.05 को समाहित** किया जाना।

रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय **की परनियमावली के उपबन्ध 11.05 के अनुसार :-**

(क) महाविद्यालय का प्राचार्य, प्रबन्धतन्त्र का पदेन सदस्य होगा।

(ख) प्रबन्धतंत्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य अध्यापक होंगे (जिसमें प्राचार्य भी है)

(ग) अध्यापक (खण्ड–'ख') में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोड़कर ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सदस्य होंगे।

(घ) प्रबन्ध तत्र का एक सदस्य महाविद्यालय तृतीय वर्ग के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों में से होगा जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

(च) खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धतंत्र के कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अर्थान्तरगत एक दूसरे के नातेदार न होंगे।

(छ) उक्त संविधान में कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

Rawat 10 S. Umbu Singh S.K. Agrawal S.S. Rana

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
17/12/15

(च) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतंत्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक रूप के चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं, या प्रबन्धतंत्र वैध रूप से गठित है या नहीं तो कुलपति का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

(छ) महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेजों को ऐसी सोसाइटी, न्यास बोर्ड या मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो, रखने के लिए तैयार होगा।

(धर्मेन्द्र सिंह) अध्यक्ष	(हरिओम उपाध्याय) उपाध्यक्ष	(शैलेन्द्र सिंह) प्रबन्धक	(सुन्दर सिंह) उपप्रबन्धक
(... दयाल) कोषाध्यक्ष	(एस0 के0 अग्रवाल) सदस्य		(सरदार सिंह राणा) सदस्य

दिनांक ...

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

17/11/2015